

By e-mail

Department of Environment, Government of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi- 110002
Phone: 23392306, Fax: 23392029

No.F.12(557)/Env/Notification/Manja/2017/2577-82

Dated: 31/12/2020

To

The Principal/ Director,
Eco-Club School/ College of Delhi.

Sub: Spreading awareness amongst students regarding ban on Sharp Manja in NCT of Delhi

Dear Sir/ Madam,

Kite flying is popular sport amongst young children and students and it catches pace weeks before, during and after the forthcoming festivals of Makar Sankranti, Republic Day and Basant Panchmi, which are falling on 14.01.2021, 26.01.2021 and 16.02.2021, respectively.

However, kite flying by using thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/ manja" or any other thread coated with glass/ metallic components causes a lot of injury to human beings and birds which many a times turns out to be fatal. Such deaths and incidents have been seen in the news also during the last few years.

Apart from this, such kite flying threads being non-biodegradable, also cause harm to the environment. These also sometimes result in flash-over on the power lines and sub-stations thereby causing power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life.

Therefore, in order to prevent adverse effects on human beings, birds, environment and electrical assets, etc. Govt. of NCT of Delhi had issued a Notification on 10.01.2017 (**copy enclosed**) making the **following directions** :-

- 1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply, import, and use of kite flying thread made out of nylon, plastic or any other synthetic material including popularly known as "Chinese manja" and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials in the National Capital Territory of Delhi.**
- 2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/ metallic/ glass components / adhesives/ thread strengthening materials.**

Any breach of the above directions may be reported to the office of the following:

S.No.	Designation	Email ID	Helpline Number
1.	The Commissioner of Police, Delhi Police	cp.snsrivastava@delhipolice.gov.in	100
2.	The Divisional Commissioner, GNCTD	divcom@nic.in	1077
3.	The Chief Wildlife Warden, GNCTD	ccfgnctd@gmail.com	1800118600
4.	The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation	commr-northdmc@mcd.nic.in	155304
5.	The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation	commissioner-sdmc@mcd.nic.in	155305
6.	The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation	commissioneredmc@gmail.com	155303

The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, or the rules made thereunder shall be punishable under section 15 of the said Act which include imprisonment upto five years and/or with fine which may be extended to Rs. One Lac or with both.

May I, therefore, request you to kindly conduct online awareness campaign amongst the students of your school/ college and ensure that kite flying is done only with a **cotton thread, free from any sharp/ metallic/ glass components / adhesives/ thread strengthening materials**. It is further requested that the details of the concerned authorities as listed above may kindly be widely circulated so that any violations observed may be reported to them in the public interest at large.

With regards,

Yours Sincerely,

Encl. : Copy of Notification dt. 10.01.2017


(Nigam Agarwal)
Director (Environment)

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Minister (Env. and Forests)
2. SO to CS, GNCTD
3. Director (Higher Education), GNCTD
4. Director (Education), GNCTD
5. PPS to Pr. Secretary (Env.)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पर्यावरण विभाग
छठा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110 002.

नई दिल्ली, दिनांक: 14/01/2017

अधिसूचना

सं0फा0: 12(508)/पर्या0/मांझा पर प्रतिबंध/2015 ⁶⁴⁻⁸¹ -जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा पर विचार किया गया है।- राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा;

और जबकि, पतंग उड़ाने के दौरान लोगों तथा पक्षियों को प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की अन्य सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित धागे जिसमें " चीनी धागा/मांझा " नाम से प्रसिद्ध धागे या अन्य धागा जिस पर शीशे/धातु का कोई घटक लेपित किया जाता है, से पक्षियों तथा लोगों को काफी चोटें लगती हैं। ये चोटें कई बार प्राणघातक सिद्ध होती हैं जिससे लोगों तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अतः प्लास्टिक, नायलोन या इसी तरह की सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित धागे जिसमें चीनी धागा/मांझा नाम से प्रसिद्ध धागे या कोई अन्य धागा जिस पर शीशे/धातु का कोई घटक लेपित किया जाता है, के प्राणघातक दुष्प्रभाव से लोगों तथा पक्षियों को बचाना अपेक्षित है

और जबकि पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्य तरीके से आसमान में अनेक पतंगें कट जाती हैं। यह कटा हुआ धागा पतंग के साथ जमीन पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक सामग्री की लम्बी जीवन अवधि तथा गैर-विघटनशीलता होने के कारण इस प्रकार के धागे पर्यावरण की दृष्टि से चिन्ता का विषय है ;

और जबकि इन गैर-विघटनशील व विद्युत सुचालक पतंग उड़ाने वाले धागों के व्यापक प्रयोग से अक्सर बिजली की लाईनों तथा सबस्टेशनों पर बिजली कट जाती है जिससे उपभोक्ता की बिजली कटौती होती है, विद्युत्तीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोटें लगती हैं और जीवन हानि होती है;

और जबकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रातः छः बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं तथा यह वांछनीय है कि गिद्धों, जिन्हें दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के साथ अन्य पक्षियों को इस प्राणघातक पतंग उड़ाने वाले धागे/मांझे से बचाकर रखने की आवश्यकता है;

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 एस ओ 667 (ड) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2016 को राजपत्र में सं0फा0:12(508)/पर्या0/मांझा पर प्रतिबंध/2015/3494-3510 के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई

रा-युक्त

थी एवं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर सभी संबंधितों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।

अब इसलिए, मानवता, पशुधन, पक्षी, मृदा और पारिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. एसओ 667(ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न निर्देश देते हैं:-

निर्देश:-

1. नायलोन, प्लास्टिक अथवा अन्य किसी सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित पतंग उड़ाने वाला धागा जिसमें कि "चीनी मांझा" के नाम से प्रसिद्ध तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार हैं या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से लेपित कर पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, आयात एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
2. केवल सूती धागे, जो कि किसी धारदार धातु/शीशे के घटकों/चिपकाने वाले पदार्थों/धागे को मजबूत बनाने वाली सामग्रियों से रहित हैं, उन्हीं से ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।


प्राधिकृत अधिकारी

इस अधिसूचना को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है, नामतः :-

1. राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, तहसीलदार तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
2. वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन्यजीव निरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
3. दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
4. दिल्ली नगर निगमों के सफाई निरीक्षक, सामान्य लाइसेंसिंग निरीक्षक तथा जन स्वास्थ्य निरीक्षक।

निगरानी :-

अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) तथा संबंधित क्षेत्राधिकार के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, जिन्हें कि पहले से ही अद्यतन संशोधित अधिसूचना संख्या 349 (ड.) दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा सशक्त किया गया है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं।



उपमंडलीय मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग के तहसीलदारों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगमों के सफाई निरीक्षकों, सामान्य लाईसेंसिंग निरीक्षकों तथा जन स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वन विभाग के वन्यप्राणी निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट तथा सदस्य सचिव दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, अध्यक्ष दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को मासिक रिपोर्ट फाइल करेंगे।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

नोट:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी निर्देशों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है जिसमें पांच साल तक कारावास तथा/अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से,

चन्द्राकर भारती

(चन्द्राकर भारती)
सचिव (पर्यावरण एवं वन)

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2 मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 3 समस्त नगर निगम आयुक्त, दिल्ली।
- 4 पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
- 5 समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
- 6 मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, दिल्ली सरकार।

चन्द्राकर भारती

(चन्द्राकर भारती)
सचिव (पर्यावरण एवं वन)

सचिव